Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- भीलवाड़ा में सहायक अभियन्ता व वाणिज्यक सहायक प्रथम अ.वि.वि.एन.एल. बनेड़ा 30,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 13 फरवरी गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भीलवाड़ा–प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी **श्री मुकेश बैरवा पुत्र श्री सुन्दरलाल बैरवा उम्र 37 वर्ष निवासी डुग्गा सिकराय तहसील सिकराय पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा हाल सहायक अभियन्ता अ.वि.वि. एन.एल. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा व श्री विनोद कुमार पुत्र पोखरमल जाति रेगर उम्र 28 वर्ष निवासी गाटवा तहसील नावा जिला डीडवाणा हाल वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.एन.एल. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा** को परिवादी द्वारा एम.आई.पी. विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्तुत पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही कर डिमांड नोटिस हेतु भिजवाकर उपर सभी अधिकारियों से क्लीयर करवाने कि एवज में **एक लाख रूपये** रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था जिससे 20,000 रूपये अपने कार्यालय में पूर्व में ही ग्रहण कर लिए तथा 30,000 रूपये रिश्वत राशि दो दिवस पश्चात परिवादी से सहायक अभियन्ता श्री मुकेश बैरवा ने रिश्वत राशि 30,000 रूपये अपने कार्यालय कार्मिक श्री विनोद कुमार को देने के लिए भिजवाये। श्री विनोद कुमार द्वारा रिश्वत राशि गिनकर अपने पास रखी जिस पर 30,000 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की चौकी भीलवाड़ा–प्रथम कों एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी के ऑयल मिल्स हेतु एम.आई.पी. विद्युत कनेक्शन हेतु डिमांड नोटिस जारी करने एवं पत्रावली उच्च अधिकारियों तक भिजवाने की एवंज में एक लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेर **के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालुराम रावत** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी भीलवाड़ा–प्रथम के **उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल** के नेतृत्व में दिनांक 13.02.2025 को मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री मुकेश बैरवा सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.एन.एल. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा व श्री विनोद कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.एन.एल. बनेड़ा जिला भीलवाड़ा को 30,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।